न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 08 / 2024(जी.सी.एम.एस.2024 / 96)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. संदीप कौर पत्नी हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्रीकरणपुर।		1. मैसर्स मोहन सन्स एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड एफ-47 मालवीय इण्डस्ट्रीज एरिया जयपुर। 2. शैलेन्द्र गर्ग पुत्र भीमसैन गर्ग जाति अग्रवाल निवासी तिलकनगर जयपुर। 3. बेअन्त कौर पत्नी कुलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्रीकरणपुर। 4. जगदेव सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्रीकरणपुर। 5. जगमीत सिंह पुत्र धनतर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्रीकरणपुर। 6. मनजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्रीकरणपुर। 7. सुखदेव सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्रीकरणपुर। 8. सुखदेव सिंह पुत्र बिकर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एम तहसील श्रीकरणपुर। 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:—06.02.2024

उपस्थितः1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता प्रार्थी

—निर्णय— दिनांक : 30.04.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 5 एम, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 16 ता 25 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम 5 एम के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1 ता 15 की भूमि अप्रार्थी संख्या 2, 3 के नाम व मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 13 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एंव अन्य अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थिया को अपनी उक्त चक 5 एम के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 16 ता 25 की भूमि को काश्त करने के लिए एंव किला नम्बर 20 में बनी ढाणी में आने-जाने के लिए मुझ प्रार्थिया द्वारा अपने गांव से होते हुए मुरब्बा नम्बर 6 की पश्चिम दिशा में चल रही सरकारी सडक से होते हुए मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 5 में चल रहे रास्ता से होते हुए मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 से होते हुए अपनी भूमि एंव अपनी ढाणी में प्रवेश करती हूं। प्रार्थिया को अपनी भूमि में आने-जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त रास्ता मुरब्बा नम्बर 5 एंव मुरब्बा नम्बर 6 के काश्तकारों द्वारा गत करीब 50 वर्षो से अपनी सहमति से छोडा हुआ है। जो आज भी मौका पर चालू है। प्रार्थी उक्त रास्ता को मंजूर करवाना चाहती है। उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना आत्यतिंक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण से मांग की है। तो अप्रार्थीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एम, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 में चल रहे रास्ता को को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2025/330 दिनांक 02.04.2025 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक अरायण व पटवारी हलका कमीनपुरा द्वारा चक 5 एम के मुरब्बा नम्बर 5, 6 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 20 पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। मौका पर उक्त रास्ता चालू है। उक्त रास्ता लगभग 30-35 वर्षो से चल रहा है। रास्ते पर आने जाने के लिए लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

4. हमने विद्वान प्रार्थिया अधिवक्ता, की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 5 एम, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 16 ता 25 की कुल 2.530 हैक्टेयर भूमि की अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 20 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ रास्ता व्यावहारिक है। प्रार्थी को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एम, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2- 2 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 की कुल 0.104 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्योराम, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष नं0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/257 **दिनांक :- 30.04.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः-प्रकरण संख्या 02/2024 अनवान संदीप कौर आदि बनाम मैसर्स मोहन सन्स एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 30.04.2025 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 एम, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी बट के साथ-साथ व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ 2- 2 बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 की कुल 0.104 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थीगण को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर